संख्या: 37/2019/2577/12-2-2019-बजट.2/2010

प्रेषक,

जे0 पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 28 सितम्बर, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: बी0ए0/507/वित्तीय स्वीकृति 2019-20 दिनांक 29 अगस्त, 2019 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय मद संख्या-14-मोटर गाडियों के क्रय में प्राविधानित धनराशि रूपये 70.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो /प्रतिबंधों के अधीन निर्गत किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:-

(1) प्रस्तावित वाहनों के क्रय हेतु यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहन गैर वातानुकूलित एवं ईधन मितव्ययी होंगे।

(2) क्रय किए जाने वाले वाहनों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेशों में निहित व्यवस्था/सीमान्तर्गत जेम पोर्टल से न्यूनतम दरों पर किया जाएगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की धनराशि राजकोष के निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापनस्वरूप वाहन क्रय मद में ही किया जायेगा किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा।

(5) मितव्ययता के दृष्टिगत वाहन की नितान्त आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर ही प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय किया जाए।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान-14-मोटर गाडियों का क्रय के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

( जे0 पी0 सिंह )
संयुक्त सचिव।

संख्या: 37/2019/2577(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र/कृषि रक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( जे0 पी0 सिंह )
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।